शासन संदर्भित/आज ही/तत्काल

पत्र सख्या-स्था-6सामान्य कम्प्यूटरसे0नि0भु0//एस0//मा0मी0समीक्षा//2018-19// 1388 // वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ // दिनांक //12 // जून, 2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय :- सेवानिवृत्ति उपरान्त देयको तथा पेन्शन भुगतान के संबंध में।

मुख्य सचिव,उत्तर प्रदेश, शासन की अध्यक्षता में दिनाँक 08-06-2018 को "सेवानिवृत्त उपरान्त देयक तथा पेन्शन भुगतान" विषयक एक बैठक आयोजित की गयी जिसमें निम्नांकित निर्देश दिये गये है :-

1- सेवानिवृत्ति उपरान्त देयको तथा पेंशन का भुगतान शत-प्रतिशत निस्तारण दिनाँक 12-06-2018 तक कर दिया जाये।

2- समस्त सेवानिवृत्तक लाभ सेवानिवृत्ति के ही दिन संबंधित अधिकारी / कर्मचारी को उपलब्ध करा दिये जाये।

3- यथा सम्भव अनन्तिम पेंशन स्वीकृत कर दी जायें एवं

यह भी अपेक्षा की गयी है कि निम्नांकित प्रारुप में सूचना आज दिनाँक 12-06-2018 तक शासन को प्रेषित की जाये।

जोन का नाम ....

क्र0 सं0	समूह	दि0 01-04-2017 से 31-03-2018 तक सेवानिवृत्त कार्मिको की सं0	पेन्शन		राशिकरण	ग्रेच्युटी		जी0पी0 एफ0		जी0 आई 0 एस 0	अवकाश का नगदीकरण
			पेन्शन	अनन्तिम पेन्शन		ग्रेच्युटी	अनन्तिम ग्रेच्युटी	90 %	100 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ग										
2	घ										

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रारुप में **आपसे संबंधित सूचना की अद्यतन स्थिति से आज दिनांक 12-06-2018 को अपरान्ह 04:00 बजे तक इस अनुभाग में फैक्स : 0522-2306072 / whatsapp no. 9415615204 / ई0 मेल के माध्यम से प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे** ताकि शासन की अपेक्षानुसार **अपेक्षित विवरण आज दिनांक 12-06-2018 को शासन** को उपलब्ध कराया जा सके।

उपरोक्त प्रारुप की सूचना जोनल कार्यालय स्तर पर संकलित कर प्रेषित की जानी है। अन्य कार्यालय व सम्भाग स्तर की सूचना सीधे मुख्यालय प्रेषित न की जाये।

उपर्युक्त निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि,पृष्ठांकन, पत्र सं0व दिनांक उक्त।

1-ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

2-स्था0 5(क), स्था0 5(ग), स्था0 3(क),3(ख) स्थापना अराजपत्रित अनुभाग वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने पटल से संबंधित कार्मिको की सूचना उपरोक्त प्रारुप में तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। 12.6.18

डिप्टी कमिश्नर (स्था0 अराज0) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

ATUL TEJ